

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1443/भू अ०

दिनांक : 04/9/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-पिपरासोल, थाना सं०-493, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा-फुटानी चौक-डीगरी-डुमरिया मोड़-महापुर पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-पिपरासोल, थाना सं०-493, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-0.23 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	1	317	रैयती	बाड़ी-2	0.045	कंठी राउत वल्द नन्दु राउत वो भातु राउत वल्द दाशो राउत कौम धानुक निवासी सा० देह। (ज०रै०)	गोबिन्द नं०-492	अर्जित रकवा का अंश	बरमसिया	कदम 1 नं०-203
2	6	2	रैयती	बाड़ी-2	0.105	विजया लक्ष्मी देव्या पति मथुरा प्रसाद राव वो विनोद राव वो पवन राव पिता छुटो राउत वो विश्वनाथ राव वो युधिष्ठिर राव वो राधा देव्या पति लखन राव वो पंचानन्द राव वो परेश राव पे० शशीभूषण राउत वो नेपाल राउत पे० लक्ष्मी राउत वो राजेश राव वो पप्पु राव पिता नरेश राउत वो अजय राव पे० शत्रुघन राव वो सुभाष चन्द्र राव पे० किशन राव वो धनंजय राव वो सुकुमार राव वो विक्रम राव पे० सलदेव राव वो श्याम राव पे० महादेव राव वो भवानी देव्या पति जयनाथ राव वो लालमोहन राव वो अशोक राव वो प्रदीप राव पे० सरदारी राव वो दिलीप राव पे० अमीन राव वो जितेन्द्र राव पे० सुरेश राव वो मोरनी देव्या पति हरीराम राव वो झारी राव वो नन्दकिशोर राव पे० गोबिन्द राव जाति धानुक नि०नि०ग्राम।				
3	6	3	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
कुल रकवा-					0.23					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर

को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर 26/8/21

अपर समाहर्ता
देवघर

28/31/08/2021
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1443 / भू अ०, देवघर, दिनांक 04/9/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर 26/8/21

अपर समाहर्ता
देवघर

28/31/08/2021
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।